1/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०।
वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय
का पूर्व निर्णय 9.8.10 एवं फाइनल डिक्री
दिनांक 14.9.10 यथावत रखने का आदेश।
दिया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
खु. मा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर बाद तामील वकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनीषा तिवाड़ी आरएएस)

मुकदमा नम्बर 742/18 तारीख दायरा 31.03.2018

उनवानः—

छीतरलाल आ0 नाररायण जाति मेघवाल निवासी बिरियाखेड़ी तहसील झालरापाटन .. वादी

बनाम

1. रत्तीराम आ0 दयाराम
2. मोहनलाल आ0 दयाराम
3. रोडू आ0 दयाराम
4. रामसिंह आ0 हरलाल
5. रामचन्द्र आ0 हरलाल
6. कालीबाई आ0 हरलाल
7. कौशल्याबाई आ0 हरलाल
8. कमलीबाई आ0 हरलाल
9. धापूबाई आ0 हरलाल
10. अनोख बाई आ0 हरलाल
11. भंवरीबाई आ0 हरलाल
12. दुर्गालाल आ0 देवीलाल
13. तुफानसिंह आ0 देवीलाल
14. रेखा आ0 देवीलाल
15. अवन्ती आ0 देवीलाल
16. मांगीबाई बेवा देवीलाल
17. मांगीबाई आ0 नारायण
18. सुगनबाई आ0 नारायण
19. सीता बाई आ0 नारायण अकवाम मेघवाल सकनाये बिरियाखेड़ी तहसील झालरापाटन
20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन .. प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक वादी
2. श्री संजय सक्सेना अभिभाषक प्रति.गण

—:: निर्णय ::—

दिनांक 11 जनवरी 2023

वाद के तथ्य संक्षेपे में इस प्रकार हैं कि ग्राम बिरियाखेड़ी तहसील झालरापाटन की खाता संख्या 136/46 की आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बि0 खसरा नम्बर 1765 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 177 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 227 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 572 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 619 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता '6 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि शामलाती खाते की है जिसकाक अभी तक बंटवारा विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । इस कारण भूमि का उन्नत बनाने लगान अदा करने एवं ऋण लेने में परेशानी आ रही है इस कारण वादी भूमि को बटवारा करवाकर अपना हिस्सा अलग खाते में दर्ज कर कब्जा वादी दिलायें जाने बाबत् निवेदन किया है ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का खाता दर्ज रेकार्ड होना स्वीकार है । वादी का विवादित आराजी पर कोई हक नहीं बनता है । वर्णित आराजी उदाराम, नारायण, हरलाल व

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

कंवरलाल के शामलाती खाते की है वादी छीतरलाल एवं प्रतिवादी 17,18, 19 नारायण की औलाद हैं जिनका हक व हिस्सा नारायण की हिस्से की जमीन में है । उदेराम के तीन लड़के मोहन, रत्तीराम व रोडू हैं । हरलाल के प्रतिवादी 4 लगायत 11 है जिनका हिस्सा हरलाल की भूमि मे है । कंवरलाल के कोई औलाद नहीं होने के कारण अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी नम्बर 2 मोहनलाल को गोद ले लिया था ओर अपना तमाम हक व हिस्सा मोहनलाल को दे दिया था । मोहनलाल ने कंवरलाल के यहां रहकर कंवरलाल की सेवा चाकरी की है । कवंरलाल व उसकी पत्नि फोत हो चुकी है । और वह कंवरलाल की भूमि पर काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी छीतरलाल की नियत में बदयान्ती आ गई है और वह कंवरलाल भूमि मे से हिस्सा लेना चाहता है । वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 17,18, व 19 भाई बहन हैं तथा प्रतिवादी 1 लगायत 16 एक तरफ हैं । इन तीनों भाईयों के नाम इन्तकाल खुल चुका है । प्रतिवादी मोहनलाल मृतक कंवरलाल का दत्तक पुत्र है । कंवरलाल का हिस्सा वादी एवं दिगर प्रतिवादी को दे दिया गया तो प्रतिवादी मोहनलाल के अधिकारों को आघात होगा और ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य में नहीं की जा सकेगी ।

जवाब पेश करने पर पत्रावली में तनकीयात कायम कर दिनांक 9.8.2010 को निर्णय पारित कर वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाकर अन्तिम डिक्री 14.09.2010 को जारी की गई जिसकी अपील मा0 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई । मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.1.2012 से उक्त निर्णय एवं अन्तिम डिक्री 14.09.2010 अपास्त करते हुए प्रेति–प्रेषित किया गया कि जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करें और यदि पक्षकारान अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहते हैं तो साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर वास्ते कायमी तनकीयात नये सिरे से निर्णय हेतु नियत की गई । प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से दिनांक 28.5.2012 को प्रार्थना पत्र 144,151 सीपीसी पेश किया जिस पर दिनांक 27.09.2012 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा आदेश दिनांक 27.09.2012 को प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सारहीन होने से खारिज किया जाकर पुनः पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत की गई । जिसकी अपील प्रतिवादी नम्बर 2 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय कोटा में पेश की । मा0 न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.08.16 से अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2012 अपास्त कर निर्णय व डिक्री दिनांक 9.08.2010 व 14.09.2010 की अनुपालना में खोले गये इन्तकाल से पूर्व की स्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया । मा0 न्यायालय की रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ में मा0 न्यायालय के अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी इस आधार पर प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की अन्तिम डिक्री 14.9.2010 की पालना हो गई है जिस पर दिनांक 14.9.2010 की पूर्व की स्थिति कायम की जावे जिसे इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जिसकी अर्थात प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी की अपील करने पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.16 को पारित निर्णय में इन्तकाल से पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश दिया चूंकि इन्तकाल से पूर्व की स्थिति बाबत् नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 पूर्व से ही मोजूद है जिसे अपीलीय न्यायालय के निर्णय की

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

पालना में इन्तकाल के पूर्व ही स्थिति के रूप में कायम किया जाता है । इसके उपरान्त पत्रावली को अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना में निम्नानुसार निर्णय किया जाता है ।

पत्रावली में कायम तनकीयात निम्नानुसार है :–

1. आया वाद पत्र के चरण क्रमांक 1 में वर्णित आराजी का कानून सम्मत बंटवारा कराने का वादी पात्र है

.. वादी

2. अनुतोष

बहस वकील फरीकेन सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :–

तनकी नम्बर –1 :–अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9.8.2010 व 14.09.2010 की अनुपालना में इन्तकाल पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश दिया है जिस बाबत् प्रर्दश–1 मोजूद है । नकल जमाबंदी ग्राम बिरियाखेड़ीकलां सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 136/46 की खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बिस्वा, 176 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 177 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 572 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 619 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता–6 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है । जिसका विधिवत बटवारा नहीं होने से वादी अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है जो प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी से स्पष्ट है । नकल जमाबन्दी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 17, मांगीबाई, प्रतिवादी नम्बर 18 सुगना बाई एवं प्रतिवादी नम्बर 19 सीताबाई पिता नारायण का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा है जिसे वह अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बटवारा करवाकर 1/3 हिस्सा पृथक से खाते दर्ज कराने की पात्रता रखता है । इस तनकी का भार वादी पर था जो नकल खाता प्रदर्श–1 से साबित है । प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब दावें प्रदर्श–ए 2 के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज ऐसा पेश नही किया जिससे प्रतिवादी मोहनलाल को दत्तक पुत्र होना साबित हो । इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष किया जाता है ।

तनकी नम्बर–2 :– तनकी नम्बर 1 के साबित होने से उसका निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है । अतः ग्राम बिरियाखेड़ीकलां सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 136/46 की खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बिस्वा, 176 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 177 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 572 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 619 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता–6 कुल रकवा 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 17, 18 एवं 19 के पृथक खाते दर्ज करने हेतु इस न्यायालय के पूर्व निर्णय 9.8.2010 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 14.09.2010 में हम किसी प्रकार का संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं । अतः इस न्यायालय का पूर्व निर्णय एवं फाईनल डिक्री का आदेश यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को हमारे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
झा उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़